

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

31.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अधिशाषी अभियंता सिक्षिवि एसएनआईपी खण्ड प्रथम भादरा, जिला हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र मार्क होकर प्राप्त होने पर दर्ज किया गया। राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सिंचाई विभाग की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रकरण में राशि वसूल अप्रार्थीगण से की जानी है जो पीडीआर एक्ट के तहत डीआरए शाखा द्वारा की जाती है। पत्रावली के अवलोकन करने से पाया गया कि प्रकरण राशि वसूली से सम्बंधित है और राशि वसूली सम्बन्धि कार्यवाही पी.डी.आर.एक्ट के अन्तर्गत डीआरए शाखा द्वारा ही की जाती है। इस लिए राशि वसूली हेतु मूल प्रकरण को आगामी कार्यवाही हेतु डीआरए शाखा में भिजवाया जावे।


जिजा कडकटर
हनुमानगढ